

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-1079/2015
संस्थित दिनांक 20.11.2015
फाई. नं.-234503012602015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, रूपझर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — —अभियोजन

// **विरुद्ध** //

सबू उर्फ सहाब उर्फ शरीफ हुसैन पिता हमीद हुसैन,
उम्र 25 साल, निवासी बंजारी थाना रूपझर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — —अरोपी

// **निर्णय** //
(आज दिनांक 12/01/2018 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354बी के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 14.10.2015 को रात्रि 08:30 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम बंजारी में फरियादी श्यामकलीबाई, जो कि एक स्त्री है, को निर्वस्त्र करने के आशय से उसकी साड़ी खींचकर यौन हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्यामकली बाई ने अपने पति राजकुमार के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 14.10.2015 की रात्रि करीब 08:30 बजे वह तथा उसका पति घर पर थे। वह दहलान पर अपने दो साल के बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी और पति अंदर सो रहा था, तभी बंजारी का सबू उर्फ साहब हुसैन मुसलमान शराब के नशे में आया और बुरी नियत से उसकी साड़ी से मुँह बंद कर हाथ पकड़ लिया और उसकी साड़ी खींचने लगा, तभी वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो पड़ोस का जयपाल मरकाम आया, तो सबू ने उसे छोड़ दिया। फिर जयराम ने उसके पति को उठाया, पति ने उसे दो झापड़ मारे फिर सबू अपने घर चला गया, फिर वह अकेली उसके घर समझाने गई तो उसकी

माँ ने कहा कि वह सबू को समझा देगी। रात में साधन न होने के कारण दूसरे दिन अपने पति के साथ रिपोर्ट करने आयी। उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 167/15 अंतर्गत धारा-456, 354 ए, बी भा.द.वि. का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन, मौका-नक्शा, आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त सबू उर्फ शरीफ हुसैन उर्फ सहाब के विरुद्ध चालान क्रमांक 167/2015 दिनांक 09.11.15 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354बी के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी श्यामकलीबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, किन्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354बी भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

01. क्या आरोपी ने दिनांक 14.10.2015 को रात्रि 08:30 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम बंजारी में फरियादी श्यामकलीबाई, जो कि एक स्त्री है को निर्वस्त्र करने के आशय से उसकी साड़ी खींचकर यौन हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

सकारण व निष्कर्ष:-

05— परिवादी श्यामकली बाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व ग्राम बंजारी के उसके घर की है। उसके घर आरोपी रात्रि में आया और बैठा, उसके बाद उसके पति ने उसे मारा था। उसके बाद वह अपने पड़ोसी के घर जाकर बताई कि उसका पति उसे मारपीट कर रहा है। उसने दबाव में आकर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने सोनेवानी पुलिस चौकी अंतर्गत थाना रूपझर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका कोई मुलाहिजा नहीं हुआ था। पुलिस मौके पर नहीं आई थी और उसके समक्ष कोई नक्शा नहीं बनाया था, किन्तु मौका-नक्शा

प्रदर्श पी.2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके कथन नहीं लिये थे।

06. परिवारी श्यामकली बाई अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 14.10.2016 की रात्रि की है, उसका पति अंदर सोया हुआ था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि बंजारीटोला का सबू शराब पीकर उसके घर आया और बुरी नियत से साड़ी से उसका मुँह बंद कर हाथ पकड़ लिया था, उसके चिल्लाने पर पड़ोस का जयपाल मरकाम आ गया था, तब आरोपी उसे छोड़कर भाग गया था, जयपाल ने उसके पति को उठाया था। उसके पति ने उसे कुल्टा और बुरा-भला कहकर उसे मार दिया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सबू चले गया था तब वह अकेली उसके घर गई थी, तब उसकी माँ ने कहा कि वह समझा देगी, रात्रि में साधन न होने से रिपोर्ट करने नहीं गई थी, दूसरे दिन चौकी सोनेवानी गई थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.3 पुलिस को न देना व्यक्त किया। पुलिस ने कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में झूठी गवाही दे रही है।

07. परिवारी श्यामकली बाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी और उसका घर एक ही मोहल्ले में है और वह एक-दूसरे के घर आते जाते हैं, आरोपी तथा उसकी माँ पहले से आते-जाते हैं, इस बात को लेकर उसका पति आरोपी की गुस्सा करता था, उसके साथ रिपोर्ट करने उसका पति भी गया था तथा उसके पति के अनुसार पुलिस के द्वारा रिपोर्ट लिखी गई थी, पुलिस के कहे अनुसार और उसके पति के दबाव पर उसने प्रदर्श पी.1 की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे, आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी नहीं की थी और ना ही कोई आपराधिक बल का प्रयोग किया था।

08— परिवारी श्यामकली बाई अ.सा.01 ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी और उसका घर एक ही मोहल्ले में है और

उनका एक-दूसरे के घर आना-जाना है, जिसके कारण उसका पति आरोपी की गुस्सा करता था। पुलिस के कहे अनुसार और उसके पति के दबाव पर उसने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की थी।। आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी नहीं की थी और ना ही कोई आपराधिक बल का प्रयोग किया था। फरियादी श्यामकली बाई अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सबू उर्फ सहाब उर्फ शरीफ हुसैन ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्यामकलीबाई जो कि एक स्त्री है, को निर्वस्त्र करने के आशय से उसकी साड़ी खींचकर यौन हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः आरोपी सबू उर्फ सहाब उर्फ शरीफ हुसैन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354बी के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09- आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10- प्रकरण में आरोपी दिनांक 16.10.2015 से दिनांक 30.10.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / -
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही / -
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट